न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 148/2022 **दायर दिनांकः 11.11.2022**

उनवान

1. रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र मंगल्या जाति मीना निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. रामहेत आयु 42 वर्ष पुत्र मंगल्या जाति मीना निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री अल्ताफ हुसैन

निर्णय **दिनांक 12/11/2022**

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का पारिवारिक बटवारा हो रहा है। जिसमें दोनों खसरों में से उत्तर दिशा की आराजी वादी के एवं प्रतिवादी क्रम 1 के दक्षिण दिशा की आराजी पारिवारिक बटवारे में आयी है। इसी पारिवारिक बटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 कबजा काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र की मद

नं0 1 में वर्णित आराजी शामलाती खाते दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आराजी के कब्जा काश्त को लेकर वाद विवाद होता रहता है। तथा वादी अपने हिस्से की आराजी का कृषि विकास नहीं करवा पाता है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 से प्रतिवादी क्रम 2 के यहां चल कर खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने खाता विभाजन कराने से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादी वाद पत्र की मद नं0 1 वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर माल मेरमातालाब की खाता संख्या 252 की ख0नं0 494 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 495 रकबा 2.35 है0 किता 2 रकबा 2.55 है0 आराजी को कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण तथा वाद खाता विभाजन का होने से वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से आराजी का विभाजन करने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मना कने पर अन्तिम बार दिनांक 05.11.2022 को माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्रा अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के मय खर्चा सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 आराजी को कब्जा काश्त के अनुसार उत्तर दिशा की वादी के खाते दर्ज किया जावे। तथा दक्षिण दिशा की प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जावे। जिसका जमाबन्दी में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से पारिवारिक बटवारा करा रखा है। तथा एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा करा रखा है तथा उसी अनुसार ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादी के वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में उत्तर दिशा की आराजी कब्जे काश्त में है तथा प्रतिवादी क्रम 1 के दक्षिण दिशा की आराजी कब्जे काश्त में है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में कब्जे काश्त एवं हिस्से के अनुसार खाता विभाजन कर खाता पृथक पृथक करने में प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर देवें।

3. राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया जिसे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया तथा ऑडर शीट पर खाता पृथक करवाने हेतु सहमति हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री अलताफ हुसैन एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया ।

4. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा विवादित आराजी का राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया गया। बहस के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से नायब तहसीलदार अटरू ने उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार विभाजन किये जाने पर सहमति प्रकट की।

5. अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की विवादित आराजी के खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 आराजी कब्जा काश्त के अनुसार उत्तर दिशा की हिस्सा 1/2 पर वादी रामभरोष पुत्र मंगल्या तथा दक्षिण दिशा की हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी कम 1 रामहेत पुत्र मंगल्या के पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक **12.11.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>अज राष्ट्रीय लोक अदालत अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 148/2022 **दायर दिनांकः 11.11.2022**

उनवान

1. रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र मंगल्या जाति मीना निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. रामहेत आयु 42 वर्ष पुत्र मंगल्या जाति मीना निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री अल्ताफ हुसैन

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की विवादित आराजी के खाता संख्या 252 की ख0न0 494 रकबा 0.20 है0, ख0न0 495 का रकबा 2.35 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.55 है0 आराजी कब्जा काश्त के अनुसार उत्तर दिशा की हिस्सा 1/2 पर वादी रामभरोष पुत्र मंगल्या तथा दक्षिण दिशा की हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 1 रामहेत पुत्र मंगल्या के पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.11.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)